

फर्द अहकाम

प्रकरण सं०

बनाम श्री.....

श्री.....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म के में ज
28/11/24	<p>पत्रा तैली के हुक्म) वकील वादी अन्तः) वकील वादी को विरिक्त रूप से तीन बार क्लक-वक कर 8/11 वाज लगातार उक्त कौच उपस्थित नहीं हुआ। वादी अतिरिक्त को पूर्व में भी न्यायालय में उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त वकील वादी एवं वादी को और से कौच उपस्थित नहीं हुआ ऐसी स्थिति में प्रकारा अहम हाजरी अहम अहम पंरती में न्यायिक किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील वादी एवं वादी कि और से कौच उप नहीं होने से प्रकारा अहम हाजरी अहम पंरती में न्यायिक किया जाता है। पत्रा तैली के श्रुत दोष वकील के लिये है।</p> <p>उपस्थित अधिकारी हमीर नगर</p>	<p>3 2 म खे 1:</p>